सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 08 / 17 निर्णय दिनांक–25.05.2018

1. मुकेश पुत्र मदनलाल जाति बिश्नोई निवासी फूलदेसर हाल चक 10 सीएचडी तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. भंवरलाल पुत्र कृष्णराम जाति बिश्नोई निवासी फूलदेसर हाल चक 274–200 आर.डी. तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व लूणकरनसर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर
दिनांक 31–01–2017

<u>उपस्थितः–</u>

1. श्री चन्द्र प्रकाश सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री हरीश कोठारी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कॉसनिया राजकीय, अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर के आदेश दिनांक 31–01–2017 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी कृषि भूमि चक 274—200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 6, 7, 12 ता 15 व मुरब्बा नम्बर 9/50 के किला नम्बर 12 ता 14, 17, 18 कुल तादादी 11 बीघा कमाण्ड भूमि है जिसमें आवागमन हेतु मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में कटाणी रास्ता उपलब्ध है उस रास्ते से मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 1 के दक्षिण दिशा में किला नम्बर 2 के दक्षिण में व किला नम्बर 9 में उत्तर से दक्षिण आता जाता है। उक्त रास्ता काफी समय से मौके पर चालू है। मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 1, 2 9 अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। इसलिए इसी मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 1, 2, 9 में से गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

उक्त प्रार्थना पत्र पर अदालत मातहत ने दिनांक 31—01—2017 को रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 1 में 2 बिस्वा पश्चिम से पूर्व दक्षिण दिशा में व किला नम्बर 1 में 16 फुट पश्चिम से पूर्व दक्षिण दिशा में तथा किला नम्बर 9 के उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा 16 फुट गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया व इसके बदले में मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 7 की कुज 4 बिस्वा 16 फुट भूमि अपीलार्थी के नाम बैयनामा करवाने के आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिये गये।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील बिना रिपोर्ट मंगवाये रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत जाते हुए अपीलांट के विरूद्व पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वह अपीलार्थी की भूमि में से अपने खेत में आता—जाता है और मौके पर रास्ता काफी समय से चल रहा है। जबकि वास्तव में ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कभी अपीलार्थी के खेत में से आता जाता रहा है ना ही मौके पर ऐसा कोई मार्ग आवागमन हेतु वर्तमान में उपलब्ध है। उक्त तथ्या अपीलार्थी द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपने जवाब प्रार्थना में भी अंकित किये गये थे परन्तु अदालत मातहत ने इस तरफ

कोई ध्यान नहीं देकर अपीलार्थी के विरूद्व निर्णय किया है। जो रिकार्ड व मौके की स्थिति के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के तहत वो ही खातेदार रास्ते की मांग कर सकता है जिसके खेत में जाने के लिए कोई रास्ता पूर्व में उपलब्ध नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है वह अपीलार्थी के खेत में से आता–जाता है। अधिनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिया है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपीलार्थी के खेत में से जो रास्ता स्वीकृत किया गया है उसके बदले में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी भूमि मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 7 की 4 बिस्वा 16 फुट भूमि अपीलार्थी के नाम बैयनामा करवाने के आदेश प्रदान किये है जबकि धारा 251 ए के तहत मार्ग में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

जहॉ तक रास्ते के प्रकरण का प्रश्न है अदालत मातहत को चाहिए था कि वे वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट तहसीलदार या हल्का पटवारी से मंगवाई जानी अपरिहार्य है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ऐसी कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया कि मौके का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण किसके द्वारा किया गया, कब किया गया व किसकी उपस्थिति में किया गया इसका कोई विवेचन अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि अधिनस्थ न्यायालय ने ना तो कोई मौका निरीक्षण किया ना ही मौके की कोई रिपोर्ट मंगवाई गई। केवल मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए उसके आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट को मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 11 में कटाणी रास्ता है जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने किला नम्बर 12 में आसानी से व सुगमता से व कम दूरी से आ जा सकता है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत रास्ता के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पहले किला नम्बर 1 में फिर किला नम्बर 2 में और फिर किला नम्बर 9 में से होकर किला नम्बर 12 में प्रवेश करेगा, यह रास्ता उक्त किला नम्बर 11 से 12 में आने की बजाय ज्यादा लम्बा व दुर्गम रास्ता है। अपीलांट द्वारा उक्त समस्त तथ्या अदालत मातहत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये

गये थे लेकिन अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

चूंकि रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के मुरब्बे में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा II में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मात्र अपीलांट को तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग करते हुए आदेश जैर अपील दुराभि संधि से प्राप्त किया गया आदेश है जो निरस्त किया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के नाम चक 274–200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 6, 7, 12 ता 15 में 6 बीघा कमाण्ड व मुरब्बा नम्बर 9/50 के किला नम्बर 12 ता 14, 17, 18 में 5 बीघा कमाण्ड इस प्रकार कुल 11 बीघा कमाण्ड भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को अपने खेत मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 6, 7, 12 ता 15 में 6 बीघा भूमि में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलांट/अप्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 सरकारी कटाणी रास्ता उपलब्ध है उक्त कटाणी रास्ते के किला नम्बर 1 के दक्षिण दिशा में किला नम्बर

2 के दक्षिण दिशा में व किला नम्बर 9 के उत्तर से दक्षिण आता जाता है जो काफी समय से रास्ता मौके पर चालू है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्त किलों में से रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करावे। जिसके बदले में जमीन अथवा राशि जो अप्रार्थीगण चाहे न्यायालय के आदेशानुसार प्रार्थी सहमत है। उक्त प्रार्थना पत्र पर पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर द्वारा स्वयं मौके का निरीक्षण किया।

उक्त निरीक्षण में पाया गया कि प्रार्थी को अपने खेत मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 6, 7, 12 ता 15 में 6 बीघा में आने जाने के लिए अन्य कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है तथा उक्त मुरब्बा 9/41 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से कटाणी रास्ता किला नम्बर 1 के दक्षिण दिशा में किला नम्बर 2 के दक्षिण दिशा में व किला नम्बर 9 में उत्तर से दक्षिण दिशा में आता जाता है जो काफी समय से रास्ता मौके पर चालू है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा उक्त मौके पर चालू रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत ने अपीलाधीन आदेश के माध्यम से जो रास्ता स्वीकृत किया गया है उक्त रास्ते से किसी को नुकसान नहीं होना है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से स्वीकृत गैर मुमकिन रास्ते की एवज में रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के धारण की भूमि मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 7 की 4 बिस्वा 16 फुट भूमि अप्रार्थी को जरिये बैयनामा दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। इस संबंध में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 का उल्लेख करते हुए कथन किया अपीलाधीन आदेश में संशोधन करते हुए अपीलांट/अप्रार्थी की भूमि जो गैर मुमकिन रास्ते में चली गई की एवज में डीएलसी दर की दुगनी राशि अदा करने के लिए तैयार है।

इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार स्वयं मौका निरीक्षण करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता(absolute nessecity & convinient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः

अपीलांट की अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2010 पेज 1344 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा चक 274—200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 1 में 2 बिस्वा पश्चिम से पूर्व दक्षिण दिशा में व किला नम्बर 2 में 12 फुट पश्चिम से पूर्व दक्षिण दिशा में तथ किला नम्बर 9 के उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा 16 फुट गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(2) हमने अपीलाधीन आदेश व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शे का अवलोकन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम यह कथन उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए के तहत रास्ते के प्रावधानों में मौका रिपोर्ट स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा अथवा संबंधित तहसीलदार द्वारा किया जाना अपरिहार्य है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर निरीक्षण किया गया है।

(3) प्रस्तुत मामलें में न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नजरी नक्श के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 में से कटाणी रास्ता पूर्व में ही उपलब्ध है। अदालत मातहत द्वारा उक्त कटाणी रास्ते से अपीलांट के धारण की भूमि मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 1 में 2 बिस्वा पश्चिम से पूर्व दक्षिण दिशा में व किला नम्बर 2 में 12 फुट पश्चिम से पूर्व दक्षिण दिशा में तथा किला नम्बर 9 के उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा 16 फुट गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है।

(4) प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी को अपने खेत मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 6, 7, 12 ता 15 में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत अन्य वकैल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में नया रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

(5) धारा 251 ए के तहत मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute nessecity) को ध्यान में रखते हुए रास्ता स्वीकृति के आदेश पारित किये जाने होते है। रास्ते के प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 69 के तहत उपखण्ड अधिकाारी संक्षिप्त जॉच के पश्चात् यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त रास्ता आत्याधिक आवश्यक है या नहीं? तथा यह भी कि उक्त रास्ता अन्य खातेदार(प्रत्यर्थी) की जोत में से होकर (विशेषकर जब आवेदन नये रास्तों के लिए हो) पहुॅचने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है, तब इस प्रकार रास्तों के मामलों में धारा 251 (ए) के अनुसार उपखण्ड अधिकारी द्वारा **संक्षिप्त जॉच, आत्यांतिक आवश्यकता एवं सुविधा को** जाना महत्वपूर्ण है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में स्वयं मौका निरीक्षण करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

हम अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के इस तर्क से सहमत है कि रास्ते के आवेदन में दूर या नजदीक का प्रश्न नहीं है, वरन् यह देखा जाना चाहिए कि क्या वह युक्तियुक्त, तार्किक, आत्यांतिक आवश्यकता व सुखाचार की शर्तो को पूरा करते है या नहीं? रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत् भूमि के आवागमन हेतु रास्ता पूर्व में अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में आवागमन हेतु पूर्व से ही उपलब्ध होने की स्थिति में धारा 251ए के तहत जिसके अनुसार पूर्व में रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नया रास्ता कायम किया जा सकता। धारा 251ए के तहत (absolute nessecity) के आधार पर स्वीकृत किया जाना होता है। अदालत मातहत मौके पर आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध नहीं होने पर चक 274—200 आरडी के मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला

नम्बर 1 में 2 बिस्वा पश्चिम से पूर्व दक्षिण दिशा में व किला नम्बर 2 में 12 फुट पश्चिम से पूर्व दक्षिण दिशा में तथा किला नम्बर 9 के उत्तर से दक्षिण पश्चिम दिशा में 2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा 16 फुट गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया गया है। जो धारा 251ए के प्रावधानों के अनुसार होने से युक्तियुक्त, तर्कसंगत व न्यायसंगत आदेश की परिभाषा में आता है।

(6) जहाँ तक उपखण्ड अधिकारी के निर्णय में प्रतिकर के विनिश्चय के मामलें में ''बैनामा'' कराये वाक्यांश को प्रयुक्त किया है वह सुधारने योग्य त्रूटि है। अतः उसे तदनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 में निहित प्रावधानों के अनुरूप व सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 33 के अनुसरण में यह संशोधन किया जाने के आदेश दिये जाते है कि अदालत मातहत ने जहाँ प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को रास्ते की भूमि की एवज में प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के धारण की भूमि मुरब्बा नम्बर 9/41 के किला नम्बर 7 की कुल 4 बिस्वा 16 फुट भूमि अप्रार्थी को दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये है कि एवज में डीएलसी दर की दुगनी राशि अप्रार्थी/अपीलांट को भुगतान किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर का आदेश दिनांक 31—01—2017 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज 25.05.2018 दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर